

5 समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि जिन-जिन जिलों को लेखापाल/डाटा इंट्री ऑपरेटर को मुक्त किया गया है, उसकी अद्यतन सूचना से मुख्यालय को अवगत करावें।  
- सभी Depot Manager

6 Buffer Stock केन्द्र से ग्राहकों द्वारा बालू को ट्रक/ट्रैक्टरों से परिवहन करने पर वाहनों में E-Lock/GPS लगा होना चाहिए एवं Bluetooth Printer के माध्यम से डाटा इंट्री ऑपरेटर द्वारा e-challan निर्गत किया जायेगा।

7 डिपो प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि लघु खनिज के प्राप्ति संबंधित पंजी/निर्गत पंजी आदि का प्रतिदिन संधारित करेंगे तथा इसकी सूचना कंट्रोल रूम, बिहार स्टेट माईनिंग कॉरपोरेशन को देंगे।  
- सभी Depot Manager

8 सभी डिपो प्रबंधक को निदेश दिया गया कि उनके अधीन जितने भी Bluetooth Printer/Mobile हैं, उन्हें दिनांक 08-02-2018 को मुख्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

अन्त में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा सभी कर्मियों को पूरी पारदर्शिता, कर्मठता एवं उत्तरदायित्व के साथ कार्य करने का निदेश दिया गया।  
धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न की गई।

ह0/-

(असंगबा चुबा आओ)

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

बिहार स्टेट माईनिंग कॉरपोरेशन

(बिहार सरकार का उपक्रम)

ज्ञापांक- बी0एस0एम0सी0 01/६५१०.३६/एम0, 21 पटना, दिनांक- 7/2/18  
प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना --सह- प्रबंध निदेशक,  
बिहार स्टेट माईनिंग कॉरपोरेशन, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ महाप्रबंधक (वित एवं  
ऑपरेशन), बिहार स्टेट माईनिंग कॉरपोरेशन, बिहार, पटना /महाप्रबंधक (मा0सं0 एवं प्र0)  
बिहार स्टेट माईनिंग कॉरपोरेशन, बिहार, पटना/सभी उप निदेशक/सभी सहायक  
निदेशक/सभी खनिज विकास पदाधिकारी/सभी खान निरीक्षक-सह-सक्षम  
पदाधिकारी/सभी डिपो प्रबंधक/ सभी सहायक लेखापाल/ सभी डाटा इंट्री ऑपरेटर/श्री  
मृणाल किशोर, डाटा इंट्री ऑपरेटर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द प्रकाश सिन्हा)

महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन)

दिनांक 31-01-2018 को विशेष सचिव-सह-निदेशक (मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी) की अध्यक्षता में बिहार स्टेट माईनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड से संबंधित मामलों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति संलग्न:-

समीक्षा के क्रम में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा निम्न बिन्दुओं पर निदेश दिया गया:-

- 1 समीक्षा के क्रम में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BSMC द्वारा बैठक में अनुपस्थित विभिन्न जिलों के डिपो प्रबंधक यथा:- अरवल, औरंगाबाद, बाँका, मधुबनी एवं नालंदा से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया। प्राप्त स्पष्टीकरण के आलोक में अनुशासनिक कार्रवाई का भी निदेश दिया गया।  
- GM (HR)
- 2 समीक्षोपरांत लघु खनिजों का सुचारु भंडारण हेतु सभी जिलों में Buffer Stock खोला गया है। Buffer Stock के माध्यम से मुख्य रूप से छोटे-छोटे उपभोक्ताओं तथा सरकारी कार्यों के लिए बालू की आवश्यकता को पूरी की जाय। तत्काल सभी Buffer Stock में 1,00,000 (एक लाख) CFT बालू भंडारण की व्यवस्था की जानी है। समीक्षा के क्रम में यह भी बताया गया कि बन्दोबस्तधारी से बालू प्राप्ति होने पर प्राप्ति रसीद देंगे तथा उसका Unloading सुनिश्चित करेंगे। जहाँ श्रमिक की आवश्यकता है, उसमें 125 रु०-प्रति 100 CFT के दर से कार्य करायेंगे। प्राप्त बालू के संबंध में विहित प्रपत्र में Inward Register संधारित करेंगे। - सभी Depot Manager
- 3 समीक्षोपरांत BSMC में कार्यरत सभी कर्मियों को निदेश दिया गया कि फरवरी-2018 से E-Attendance के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करें। जिन जिलों के प्रभारी पदाधिकारी/BSMC के कर्मियों द्वारा E-Attendance के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं किया जायेगा, उनका वेतन अगले आदेश तक अवरूद्ध रहेगा।
- 4 समीक्षा के क्रम में BSMC को सशक्त एवं मजबूत बनाया जाए। डिपो प्रबंधक/सहायक लेखापाल/डाटा इंटी ऑपरेटर का अपने कार्यों के प्रति लापरवाही/शिथिलता बरते जाने पर अबिलंब हटाने का निदेश दिया गया।

- GM (HQ.) to review  
report